"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86] रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 मार्च 2017— फाल्गुन 27, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ–68–84/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015/2115 रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2017

1. श्री टुमनचंद साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, मगरलोड जिला धमतरी, छ.ग.
2. श्री पोखन साहू, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, मगरलोड जिला धमतरी, छ.ग.
3. श्री रामगोपाल अग्रवाल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पंचायत, मगरलोड जिला धमतरी, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32–ग सहपठित धारा 32–ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 14 फरवरी, 2017.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी के प्रतिवेदन दिनांक 9 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32–ग सहपठित धारा 32–ख के तहत प्रारंभ किया गया है।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत मगरलोड के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 7 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था। निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 9–2–2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत मगरलोड के आम निर्वाचन 2014 में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों श्री टुमनचंद साहू, श्री पोखन साहू एवं श्री रामगोपाल अग्रवाल द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दिनांक 4–2–2015 को जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया गया है। जबकि उनके प्रतिवेदन में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि 3–2–2015 दर्शाई गई है।

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों श्री टुमनचंद साहू, श्री पोखन साहू एवं श्री रामगोपाल अग्रवाल को दिनांक 19–5–2015 को अधिनियम की धारा 32–ग सहपठित धारा 32–क एवं 32–ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूध्द अधिनियम की धारा 32–ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन

लड़ने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए। उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी श्री टुमनचंद साहू को दिनांक 30–5–2015 को, श्री पोखन साहू को दिनांक 25–5–2015 को तथा श्री रामगोपाल अग्रवाल को दिनांक 26–5–2015 को सम्यक रूप से तामील की गई। अभ्यर्थीगण श्री पोखन साहू एवं श्री रामगोपाल अग्रवाल को कारण बताओ सूचना सम्यक रूप से तामील होने के पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में यह माना गया कि अभ्यर्थीगण श्री पोखन साहू एवं श्री रामगोपाल अग्रवाल को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार अभ्यर्थी द्वय के विरूध्द दिनांक 4–8–2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी श्री टुमनचंद साहू ने अपना जवाब दिनांक 5–6–2015 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया। जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 9–1–2015 को नगर पंचायत मगरलोड में अधिकृत व्यय लेखा शाखा के सक्षम अधिकारी के पास जमा कर दिया था। उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि चूंकि निर्धारित समयसीमा के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा जमा करा दिया गया है अतः उनके विरूध्द कार्रवाई न की जाये। अभ्यर्थी के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी का अभिमत प्राप्त किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी द्वारा पत्र क्रमांक 1115/स्था.निर्वा./न.पं.निर्वा./व्यय.लेखा./2015, दिनांक 7–9–2015 में अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 30.1.2015 को व्यय लेखा शाखा मगरलोड में प्रस्तुत कर दिया था जिसे त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को वापस किया गया। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 3.2.2015 को निर्वाचन व्यय लेखा शाखा में हुए त्रुटि को सुधार कर व्यय लेखा शाखा मगरलोड में जमा कर दिया गया था। व्यय लेखा शाखा के संबंधित कर्मचारी की ड्यूटी त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में लगी होने के कारण एवं रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशानुसार उक्त निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 5–4–2015 को जिला व्यय लेखा शाखा में जमा करा दिया गया। अभ्यर्थी ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दिया था अतः प्रकरण को नस्तीबध्द किये जाने की अनुशंसा भी की गई।

5. अभ्यर्थी टुमनचंद साहू द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में सुनवाई हेतु उन्हें दिनांक 8 अप्रेल 2016 को आयोग में आहूत किया गया। उनका शपथपूर्वक कथन लिपिबध्द किया गया। अभ्यर्थी द्वारा शपथपूर्वक कथन में निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 9 जनवरी 2015 को नगर पंचायत मगरलोड में लेखा शाखा के सक्षम अधिकारी के जमा किया था। उनके द्वारा प्रकरण समाप्त करने का निवेदन भी किया गया।

6. आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी उनके अभिमत दिनांक 7–9–2015 के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति बाबत् जानकारी चाही गई कि जिला निर्वाचन कार्यालय में अभ्यर्थी श्री टुमनचंद साहू का निर्वाचन व्यय लेखा कब प्राप्त हुआ और उसे त्रुटि सुधार हेतु कब वापस किया गया। इस पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी ने ज्ञापन क्रमांक 179/स्था.निर्वा./न.पं.निर्वा./व्यय.लेखा./2015, दिनांक 4–7–2016 में दर्शाया कि श्री टुमनचंद साहू द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 9–1–2015 को जिला व्यय लेखा शाखा में प्रस्तुत किया गया जिसे त्रुटिसुधार करने हेतु अभ्यर्थी को दिनांक 30–1–2015 को वापस किया गया। अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि सुधार कर दिनांक 3–2–2015 निर्वाचन व्यय लेखा निर्वाचन लेखा शाखा मगरलोड को प्रस्तुत किया गया था जिसे निर्वाचन लेखा शाखा मगरलोड द्वारा दिनांक 4–2–2015 को जिला निर्वाचन व्यय लेखा शाखा में प्रस्तुत किया गया चूंकि दिनांक 3–2–2015 को स्थानीय अवकाश था। उक्त सन्दर्भ में दिनांक 23 जनवरी 2017 को अभ्यर्थी श्री टुमनचंद साहू एवं 24 जनवरी 2017 को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) धमतरी को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) धमतरी द्वारा बताया गया कि अभ्यर्थी श्री टुमनचंद साहू द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन लेखा प्रस्तुत कर दिया गया था।

7. प्रकरण से सम्बन्धित अभिलेखों का परिशीलन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों श्री टुमनचंद साहू, श्री पोखन साहू एवं श्री रामगोपाल अग्रवाल ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया जबकि प्रतिवेदन में उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि दिनांक 4–2–2015 दर्षित की गई। यह अधिनियम की धारा 32–क (1) एवं 32–ख का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 32–क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 32–क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा–** प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा।"

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32–क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 32–ख निम्नानुसार है :

''**धारा 32–ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**– अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32–क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा।''

अधिनियम की धारा 32–ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है। अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था परन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी के ज्ञापन दिनांक 4.7.2016 में यह भी उल्लेखित किया कि दिनांक 3 फरवरी 2015 को स्थानीय अवकाश था ।

8. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), धमतरी के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत मगरलोड के आम निर्वाचन 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों श्री टुमन चंद साहू, श्री पोखन साहू एवं श्री रामगोपाल अग्रवाल ने अधिनियम की धारा 32–क (1) तथा धारा 32–ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 3 फरवरी 2015 को चूंकि स्थानीय अवकाश था अतः दिनांक 3 फरवरी 2015 को प्रस्तुत न कर पाने के कारण दिनांक 4 फरवरी 2015 को अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जो कि सद्भाविक है। अतः उपरोक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्श पर पहूंचा हूं कि अभ्यर्थीगण श्री टुमनचंद साहू, श्री पोखन साहू एवं श्री रामगोपाल अग्रवाल द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2015 को प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा को निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया गया मान्य करना न्यायोचित है। अतः अभ्यर्थीगण श्री टुमनचंद साहू, श्री पोखन साहू एवं श्री रामगोपाल अग्रवाल के विरूध्द प्रकरण समाप्त किया जाता है।

9. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 14 फरवरी 2017 को जारी किया गया।

हस्ता./–

(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.